रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-223996
CG-DL-E-30122020-223996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4146] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942
No. 4146] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4729 (अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2771 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 13 अगस्त, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

और, मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान 9°57' से 10°01' उ अक्षांश और 76°14' से 76°16' पू देशांतर के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल 12.82 वर्ग किलोमीटर (1281.7419 हेक्टेयर) में फैला हुआ है, यह केरल राज्य में ईडुक्की जिला के उदुम्बनचोला तालुक में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी पश्चिमी घाटों की उच्च श्रृंखलाओं में स्थित है। त्रावणकोर सरकार के राजपत्र में 24 अगस्त, 1897 में अधिसूचित कर्डामोम पहाड़ी रिज़र्व के वन क्षेत्रों के भाग के साथ मिलकर बना है। मथिकेत्तन में शोला वन की विशिष्ट विशेषताओं और हाथी गलियारे के रूप में इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए,

राज्य वन्यजीव परामर्शी बोर्ड ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अनुशंसा की और तद्नुसार केरल सरकार ने आदेश सं. 50/2003/एफ और डब्ल्यू एल डी तारीख दिनांक 10 अक्टूबर, 2003 को मथिकेत्तन शोला को मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया;

और, मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान में कई स्थानिक वनस्पति और जीवजंतुओं का वास है, और यह वास कर्डामोम पहाड़ी रिज़र्व के मूल वनों के अंतिम अवशेष हैं तथा संथानपारा, पौप्पारा क्षेत्रों की कृषि और पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचिनिकु थीपुजहा, मथिकेत्तन पुझा और नजेन्द्र पेनियार नदी की सहायक नदियों से जल की बारहमासी आपूर्ति कराती है। मुख्य वनस्पतियों के अंतर्गत मालाविरीनजी *(अकटीनोदाफने बुउदील्लोनी),* पंथाडा (*बेइलस्चमिडिया विघटी),* उनगाकान्नी *(लिटसिया गलाबराटा),* मानजाकुडाला *(लिटसिया विघटिअना),* कैझाम्बाज *(नेओलिटसिय कैशिया),* मालामावय *(पेरसिया माकरांथा),* कट्टुपूवारासु (*रहोडोडेंद्रोन अरबोरेउम),* पछोट्टी *(सयम्पलोकोस कोचिंचिनेसिस),* कम्बिलिवेट्टी (*तुरपिनिय कोचिनचिनेंसिस),* कोझीक्कुलामवय (*डाफनीफयल्लुम नेइघेरेंसे),* अट्टुचानकाला (*हायडनोकारपुस अलपिना),* चोलारूदालकसम *(इलाइओकेरपुस रेकुरवातुस),* कोलाक्काट्टाछेडी कोलाक्काट्टाचेडी *(गउलथेरिया फ्रागरांटीस्सीमा),* अनालीवेंगा (*पिट्टोसपोरूम नेइलघेरेंसे),* नंजीनार *(पसयचोटरिया निलगिरिइंसिस),* कोट्टाप्पोवय (*साइकोट्रिया नुडीफ्लोरा),* मांजानाथी (*माहोनिया लेस्चेनाउलटी),* कट्टुरोसा (*रोसा लेस्चेनाउलटिअना),* कट्टुविजहाल (*मेइसा इंडिका),* पेरूकिलाम (कलेरोडेंडरूम विसकोसुम*),* कट्टुनोचि (डेबरेगेअसिया लांगिफोलिया*), विजहाल* (इम्बेलिया रिबेस*), कट्टुमुंथिरी* (रूबुस इल्लीप्टिकस*),कट्टुमुंथिरी* (रूबुस निवेउस*),* काक्काथोडाली (टोड्डालिया एशियाटिका*),* आदि आते हैं;

और, मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान में स्तनधारी प्रजातियों की विविधता जैसे *रतुफा इंडिका (*मालाबार बृहत गिलहरी), *सेम्नोपिथेकस जोहनी (*नीलगिरी लंगूर), *मकाका सिलेंसिस (*लायन-टेल्ड मकाक्यू), *परदोसुरुस हेर्माफ्रोडीतूस (*सामान्य पाम सिवेट), *कुओनल पिनस (*एशियाई जंगली कुत्ता), *पेन्थेरा प्रज्घूस (*तेंदुआ), *केरवुस यूनीक्लोर (*सांभर), *बोस गौरस (*गौर), *एलिफस मैक्सीमूस* (एशियाई हाथी), आदि का भी वास है;

और, मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान से मुख्य पक्षी-जीव, तितलियों और ओडोनटस् *गराकुला रेलिगिओसा* (हील मैना), *पयकनोनोटस जोकोसुस (*रेड-व्हिस्करेड बुलबुल), *लोले इंडिका (*यैलो-ब्रोवेड बुलबुल), *हिप्सिपेट्स लुकसेपहलुस (*ब्लैक बुलबुल), *रोपोचिस्लाट रिकेपस (*डार्क-फ्रंटेड बब्बलर), *गररूलाक्स जेरडोनी (*ग्रे- ब्रेस्टेड लौगिंगत्रुष), *मस्कियापा मुट्टुई (*ब्राउन-ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर), फिकेडुला निगरोरूफा *(*ब्लैक-ऑरेंज फ्लाइकैचर), *सायोरनिस पाल्लिपेस (*वाइट-बेलिएद ब्लू फ्लाइकैचर), *कोर्निस टिकेलिए (*टिकेल ब्लू फ्लाइकैचर), *इयमयिअस थालास्सिना (*वेरडीटेर फ्लाइकैचर), *यूमयिसाबलि कउडाटा (*निलगिरी फ्लायकैचर), *कुलिकिकापा केयलोनेंसिस (*ग्रे-हेडेड फ्लाइकैचर), परिनिया होडगसोनि (ग्रे-ब्रेस्टेड परिनिया), *साक्कोला कापराआ (*पेइड बुस्हचैट), *सक्सिकोलोइडेस फलिकाटा (*इंडियन रोबिन), *मययोफोनुस होर्सेफइलडी (*मालाबार व्हिस्टलिंग थ्रश*), तरोइडेस मिनोस* (दक्षिण बर्डविंग), *पचलिओप्टा हेक्टोर(क्रीमसोन रोसे*), *गराफिउम सारपेडोंटेरेडोन (कॉमन ब्लूबोट्टेल*), *पापिलिओ डेमोलेउस* (लिमे), *पापिलिओ हेलेनुस दकक्षा (*रेड हेलेन), *पापिलिओ पोयलम्नेस्टोर पोलयमनेस्टोर (*ब्लू मोरमोन), *काटोपसिलिया पोमोना पोमोना (कॉमन इमिग्रांट*), *इयरेमा लेइटा लेइटा (*स्पोटलेस्स ग्रास येल्लो), *इयरेमा एंडेरसोनिसिमाइ (*वन-स्पोट ग्रास येल्लो), *इयरेमा हेकाबक हेकाबे (*कॉमन ग्रास येल्लोव), *कोलिअस निलगिरीइंसिस(*निलगिरी क्लाउडेड येलो), *पिइरिस कनिडिअकानिस (*इंडियन काब्बाजे वाइट), *बेलेनोइसा औरोउरोटा (*पिओनेर कैपर वाइट), *एप्पिएस अलबिनो स्विनहोइ (*सामान्य अल्बाटरोसा), *हेबोमोइया गलाउकिप्पे ऑस्ट्रलिस (*ग्रेट ऑरेंज टीप), *लेथ रोहरिया नैलघेरिइंसिस (*सामान्य ट्रीब्राउन), *हेटेरोप्सिस ऑकुलुस (*रेड-डिस्क बुशब्राउन), *मायकालेसिस डाविसोनी (*पलानी बुशब्राउन), यपतिमा हुएबनेरी (सामान्य फोर-रिंग),*यपतिमाबालडुस माडरासा (*सामान्य फाइव-रिंग), *डीपलाकोडेस टरिविअलिस (*ग्राउड स्किम्मर),*ऑर्थेतरूम परूइनोसुम (*क्रिमसन-टेल्ड मार्श

हावक), *ऑर्थेतरूम ट्रिअंगुलारे* (ब्लू-टेल्ड फॉरेस्ट हावक), *पैंटाला फ्लावेस्केंस* (वांडेरिंग गलिडेर), *ट्रीथेमिस औरोटा* (क्रिमसन मार्श ग्लाइडर), आदि को अभिलिखित किया गया है;

और, मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान की दुर्लभ, संकटापन्न, लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों में *एंड्रोग्रैफिस एफिनिस, रूंगिया लाएटा, स्ट्रोबिलांथेस एंडेरसोनि, स्ट्रोबिलांथेस ग्राकिलिस* (थोकाकुरींजी), *स्टाबिलांथेस माइक्रांथुस* (काल्लानकुंरीनजी), *स्टाबिलांथेस नेओअस्पेर, स्टरोबिलांथेस रूबिकुंडुस, इंडोबालिया फयरसिफ्लोरा, मेइओगयने रामारोवि* (पांथालमाराम), *हेराकलेउम कनडोल्लेअनुम (कट्टुगेराकाम), हेराकलेउम स्परेंगेलिअनम* (कट्टुमाल्ली), *अरीसैइमा लेसचेनाउलटी* (पामबुचोलाम), *एरिसाइमा* (पामबुचोलाम), *होया विघटी* (इल्लोडीयान), *गिनरात्रावणकोरिका* (कोप्पुचेडी), *वेरनोनिया फयसोनी* (कलियाम्मान-पथरी), *वेरनोनिया टरावांकोरिका* (काराना, थेम्पु), *इम्पाटेइंस काम्पनुलाटा* (थोट्टाचिनुंगि), *इम्पाटिइंस कोरडाटा* (थोट्टाचिनुंगि), *इंपाटिइंस कुस्पिडाटा (थोट्टाचिनुंगी), इमपाटिइंस टंगाचै* (कन्नीपूवय), *बेगोनिया फ्लोक्किफेरा* (कलथामारा), *कुल्लेनिया एक्सारिल्टा* (मुल्लेंचांक्का), *यूओनयमुस क्रेनुलाटस* (धंथापत्री), *मसट्रीक्सिया अरबोरिया* (कट्टुकारपूरम), *इलाइओकेरपुस मुंरोनी* (कलरूडराकशाम), *इलाइओकेरपुस वारिया बिलिस* (कोटलाम्पाझामराम), *ड्रायपेटेस वेनुस्टा* (चूटा), *एक्सकुम विघटीअनुम* (थावालाक्कालचेडी), *लेउकस वेस्टिटा* (हनुमानपाल), *एक्टिनोडाफने बूर्डिल्लोनी* (मालाविरिनजी), *अपोल्लोनिअस अरनोट्टी* (करामावय), *चिन्नामोमुमविघटी* (शांथामाराम), *करयप्टोकरया बेडुमेइ* (चेम्बालावा), *लिटसिया ओलेओइडेस* (माथी), *लिटसिया विघटिअना* (पाट्टुथाली), *नेओलिटसिया फिस्चेरी* (वारिमाराम), *अस्पारागस गूनोकलाडोस* (साथावारी), *ओस्गेक्सिया लेस्चेनाउलटिअना* (नाइलांगी), *फिकस लाविस* (पैयाथी), *सिजियगिउमडेंसिफ्लोरूम* (कुरूनजावाल), *जास्मिनम बरेविलोबम* (कट्टुमुल्ला), *लिगुस्ट्रम पेर्रोट्टेटी* (काथीकोडीमाराम), *लक्सोरा नोटोनिअना* (इराम्बुरिप्पी), *मुस्साइंडा टोमेंटोसा (पाट्टाम), पसयचोटरिया निलगिरिइंसिस* (पावाडाक्काम्बु), *सप्रोसमा फोइटेंस* (थेनारी), *इसोनेंड्रा पेर्रोट्टेटिअना* (करीमपाला), *पूजोलजिया विघटी* (नारालीकोला), *कोलुम्बिया इलफिंस्टोनि* (निलगिरी वूड कबूतर), *मुस्किकापा निगरोरूफा* (ब्लैक ऑरिज फ्लाईकैचर), *सियोरनिस पाल्लिडीपेस* (वाइट-बेल्लीइड ब्लू-फ्लाइकैचर), *अंथुस्नीलघीरीइंसिस* (निलगिरी पिपिट), *नेकटारीनिया मिनिमा* (क्रिमसन-ब्लैकड सनबर्ड), *टरोचालोपटेरोन फइरबांकी* (पलानी लौघींगथरूस), *टरोइडेस मिनोस* (दक्षिणी बर्डविंग), *पापिलिओ डराविडारूम* (मालाबार रावेन), *मयकालेसिस ओकुलस* (रेड डिस्क बुश ब्राउन), *ओरिइंस कोनकिन्ना* (तमिल डार्रटलेट), *टराचयपिथेकस जोहनी (निलगिरी लंगूर), मारटेस ग्वारटकिंसी* (नीलगिरी मारटेन), आदि हैं;

और, मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के ईडुक्की जिला के मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.00 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.00 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 17.5 वर्ग किलोमीटर है। राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार उचित ठहराया गया

है कि " तमिलनाडु राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा के कारण उत्तर पूर्व और पूर्व सीमा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन शून्य है"। राष्ट्रीय उद्यान की विभिन्न दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशा	*पारिस्थितिकी संवेदी जोन (किलोमीटर) का विस्तार*
उत्तर	1.00 किलोमीटर
उत्तर - पूर्व	0 (केरल-तमिलनाडु अंतर्राज्यीय सीमा)
पूर्व	0 (केरल-तमिलनाडु अंतर्राज्यीय सीमा)
दक्षिण -पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण	1 किलोमीटर
पश्चिम	1 किलोमीटर
उत्तर- पश्चिम	1 किलोमीटर

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख** और **उपाबंध-II ग** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

		परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा कि गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।

15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
20.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	ठोस और जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

	प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.स.	**निगरानी समिति का गठन**	**पदनाम**
(1)	जिला कलेक्टर, इडुक्की	
(2)	जिला पंचायत अध्यक्ष, इडुक्की	अध्यक्ष, पदेन;
(3)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केरल राज्य बिजली बोर्ड या केरल जल प्राधिकरण या केरल राज्य सिंचाई विभाग या केरल राज्य पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(4)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(5)	केरल सरकार द्वारा नामित राज्य संस्थान के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(6)	वन्यजीव वार्डन, मुन्नार वन्यजीव प्रभाग	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो **पैरा 4** के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक

विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/108/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

क. केरल राज्य में मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण

उत्तर सीमा केरल और तमिलनाडु के बीच अंतर्राज्यीय सीमा के बिंदु से आरंभ होकर पुन:सर्वेक्षित लघु क्षेत्र के पौप्पारा ग्राम के संर्वेक्षण सं.32 की दक्षिणी सीमा से मिलती है और बोदीमेट्टु–पौप्पारा ग्राम के सर्वेक्षण. 17, 16, 13, 14, 8 ,22 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम में जाती है और इसके अतिरिक्त ब्लांक 13 और सर्वेक्षण संख्या 34, 35, 36, 37 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुड़ती है और एक बिंदु पर पहुंचकर सर्वेक्षण सं.38 की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है जहां सर्वेक्षण सं.38 के सबसे उत्तरी भाग से होकर पुन: सर्वेक्षित लघु क्षेत्र से मिलती है।

पूर्व इसके बाद यह सीमा अंतर्राज्यीय सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है।

बाहरी सीमाएं पहले ही सर्वेक्षित की गई है और 70% सीमा स्थायी स्तूपों पर चिन्हित है।

दक्षिण इसके बाद सीमा सर्वेक्षण सं 64, 63 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व में मुड़ती है और संर्वेक्षण सं. 78, 71, 72, 73, 74, 174, 192, 193, 195, 197 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण में मुड़ती है और सर्वेक्षण सं. 198, 199 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण में मुड़ती है और पुन: सर्वेक्षण सं. 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212 की उत्तरी सीमा के साथ उत्तर पूर्व में मुड़ कर अंतर्राज्यीय सीमा से मिलती है।

पश्चिम तदुपरांत यह सीमा दक्षिण में मुडती है और खंड सं.13 की पूर्वी सीमा के साथ होते हुए रिसर्वे माइनर सर्किट का अनुसरण सर्वे सं.65 की उत्तरी सीमा आने तक करती है। उसके बाद यह सर्वे सं.65 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण में सर्वे सं.64 की सीमा पर उस जगह मिलती है जो क्षेत्र बेदखली के बाद लोकतांत्रिक उपयोग हेतु सौंपा गया है।

ख: केरल राज्य में मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग पर पी1 (10° 1' 36.08"उ, 77° 15' 42.12"पू) से आरंभ होती है, जो कि अंतर्राज्यीय सीमा में स्थित है। इसके बाद पेनियार चाय एस्टेट पी 5 (10° 0' 15.26"उ , 77° 12' 52.56"पू) के अनायीरंगल जलाशय के दक्षिण किनारे के साथ राष्ट्रीय उद्यान की उत्तर-पश्चिम भाग के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है।

पूर्व मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान का पूर्वी भाग तमिलनाडु में है। अत: पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।

दक्षिण शोला पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी भाग कोरामपारा वास के निकट पी 9 (9° 58' 3.14"उ, 77° 13' 58.81"पू) से आरंभ होती है। इसके बाद यह दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर मुडती है और 10 (9° 57' 57.89"उ, 77° 14' 22.38"पू), पी11 (9° 57' 52.18"उ, 77° 14' 53.14"पू) पी12 (9° 57' 43.75"उ, 77° 15' 26.35"पू) और पी13 (9° 57' 40.3"उ, 77° 16' 6.82"पू). से होते हुए मुड़ती है। ये बिंदु पयथोट्टी जंक्शन, पयथोट्टी नजेन्द्रमेडु सड़क और नजेन्द्रमेडु का प्रतिनिधित्व करते हैं। पी 13 से, यह सीमा उत्तर दिशा की ओर मुडती है और पी 14 (9° 58' 29.38"उ, 77° 16' 22.29"पू) की ओर मुड़ती है जहां यह अंतर्राज्यीय सीमा को छूती है।

पश्चिम पश्चिम में, बिंदु पी 6 (9° 59' 53.1"उ, 77° 12' 46.44"पू) से आरंभ होती है इसके बाद यह पी 7 (9° 59' 21.12"उ, 77° 12' 57.16"पू) से होते हुए दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाती है और पी 8 (9° 58' 31.24"उ, 77° 13' 15.26"पू), पहुंचती है, जो कोरामपारा वास के निकट स्थित है।

उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र

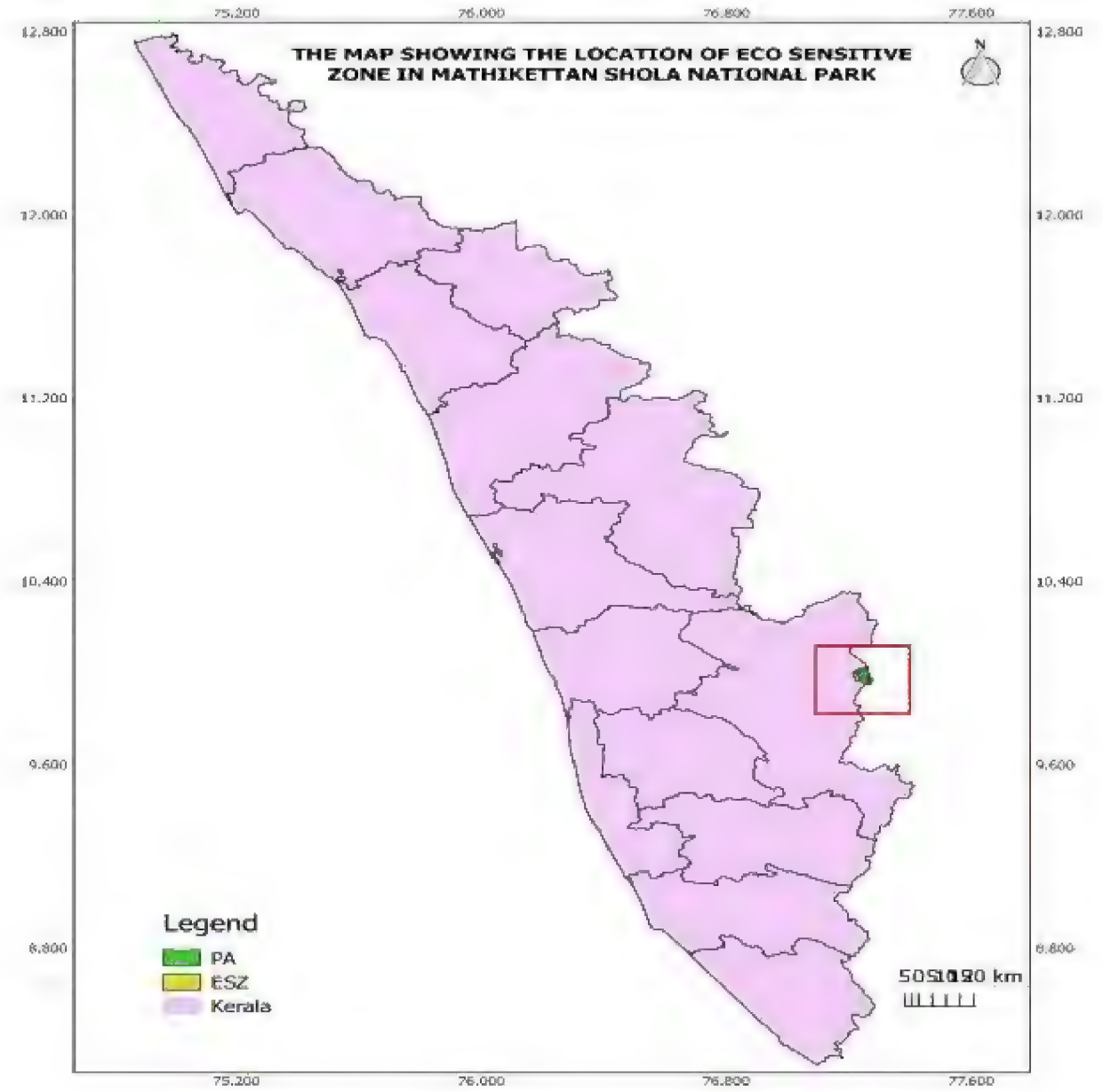

उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल चित्र

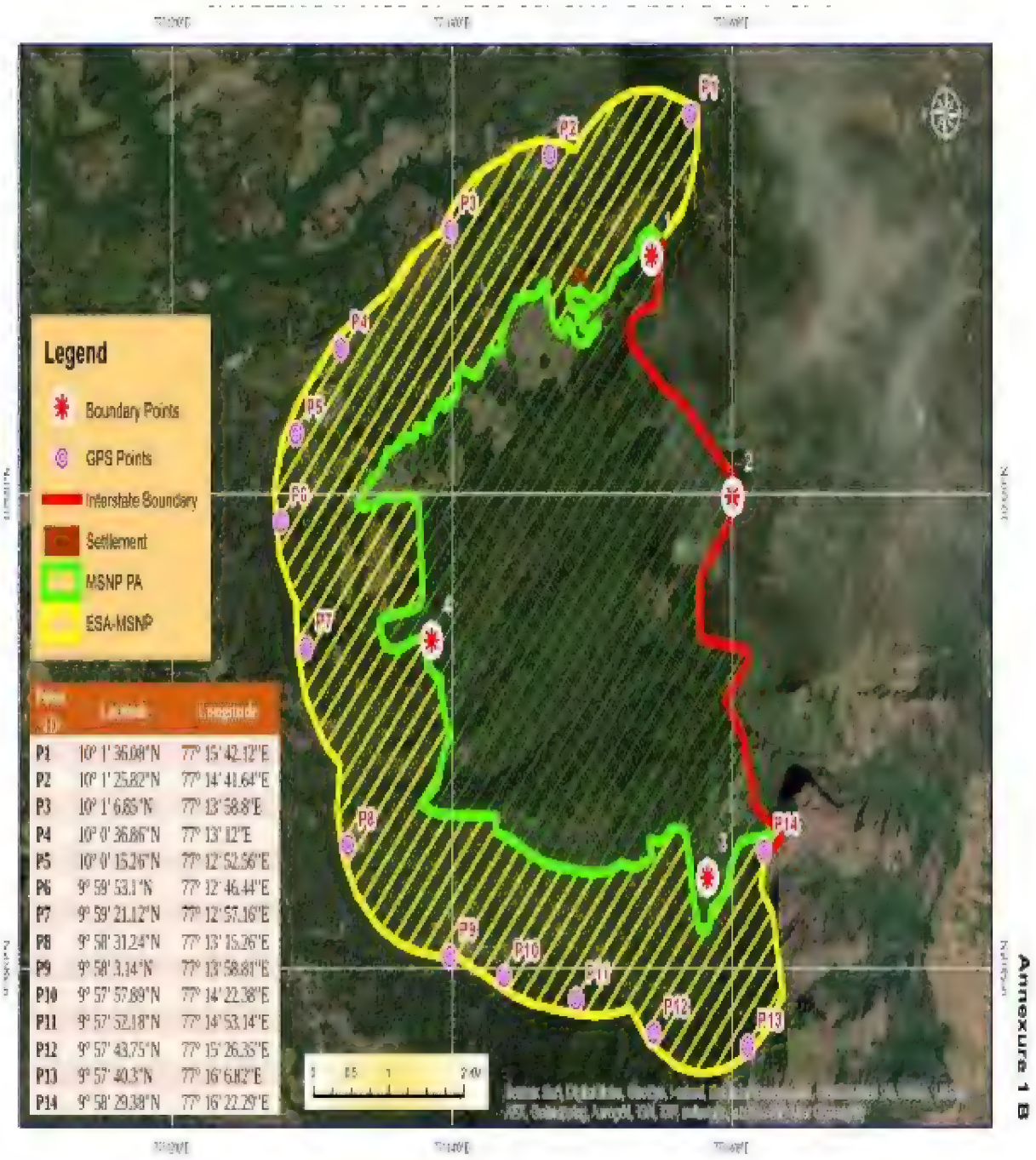

उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

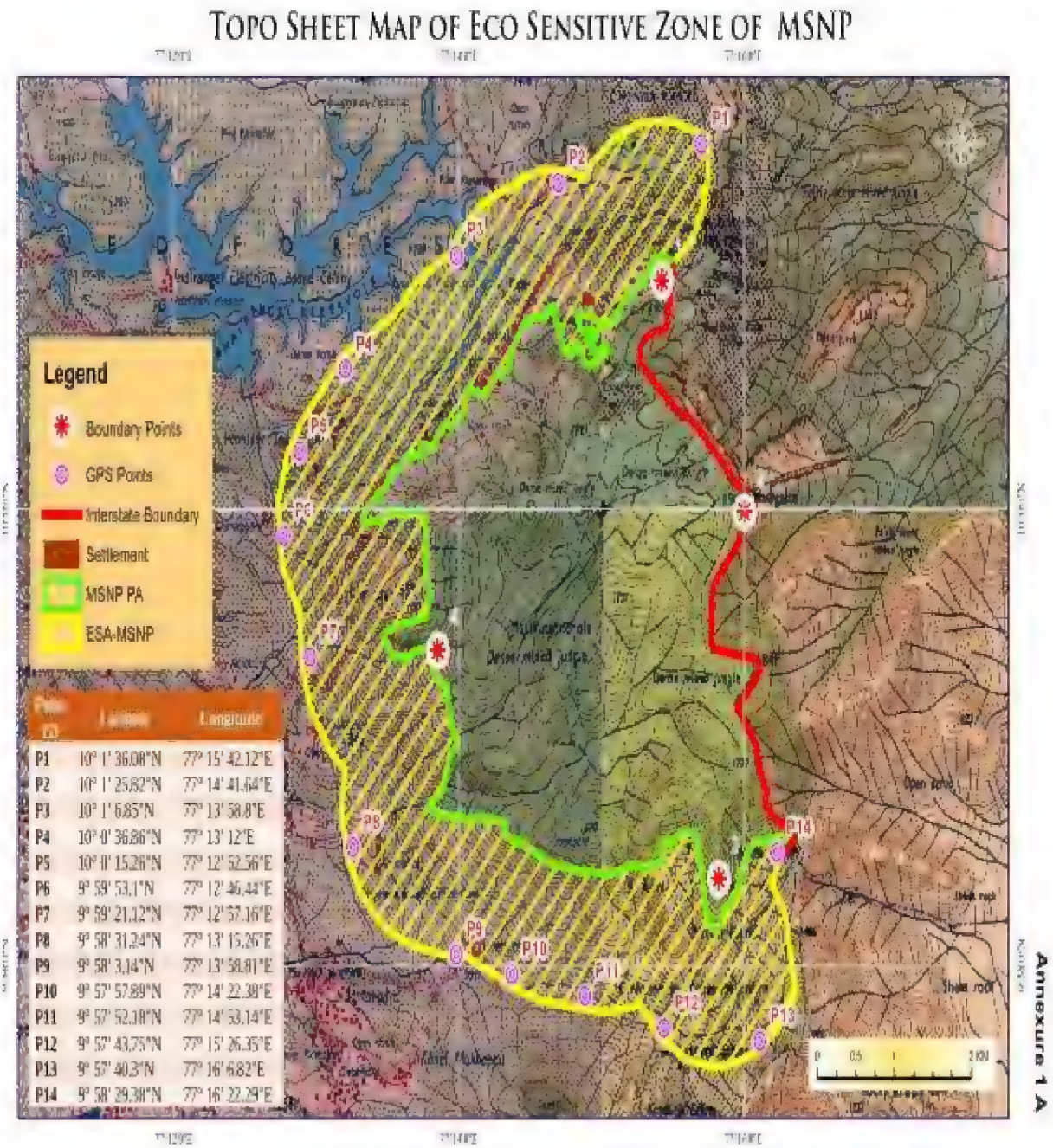

उपाबंध-III

सारणी क : मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	10° 1' 0.05 "उ	77° 15' 25.6 "पू
2	9° 59' 59.22 "उ	77° 16' 0.34 "पू
3	9° 58' 22.95 "उ	77° 15' 49.5 "पू
4	9° 59' 27.9 "उ	77° 13' 51.13 "पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
1	पी1	10° 1' 36.08"उ	77° 15' 42.12"पू
2	पी 2	10° 1' 25.82"उ	77° 14' 41.64"पू
3	पी 3	10° 1' 6.85"उ	77° 13' 58.8"पू
4	पी 4	10° 0' 36.86"उ	77° 13' 12"पू
5	पी 5	10° 0' 15.26"उ	77° 12' 52.56"पू
6	पी 6	9° 59' 53.1"उ	77° 12' 46.44"पू
7	पी 7	9° 59' 21.12"उ	77° 12' 57.16"पू
8	पी 8	9° 58' 31.24"उ	77° 13' 15.26"पू
9	पी 9	9° 58' 3.14"उ	77° 13' 58.81"पू
10	पी 10	9° 57' 57.89"उ	77° 14' 22.38"पू
11	पी 11	9° 57' 52.18"उ	77° 14' 53.14"पू
12	पी12	9° 57' 43.75"उ	77° 15' 26.35"पू
13	पी13	9° 57' 40.3"उ	77° 16' 6.82"पू
14	पी14	9° 58' 29.38"उ	77° 16' 22.29"पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांको के साथ मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	जिला	तालुक	ग्राम	ग्राम के प्रकार	अक्षांश	देशांतर
1	इडुक्की	उदुम्बंचोला	पौपारा	राजस्व	10° 0' 9.36"उ	77° 13' 27.84"पू

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

S.O. 4729 (E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2771(E), dated the 13th August, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 13th August, 2020;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Mathikettan Shola National Park is located between $9^0$57' to $10^0$01' N Latitudes and $76^0$14' to $76^0$16' E Longitudes and spread over an area of 12.82 square kilometres (1281.7419 hectares) located in Udumbanchola Taluk of Idukki District in the State of Kerala. The National Park is situated in the high ranges of southern Western Ghats and formed together with the part of the forest areas of Cardamom Hill Reserve notified in the Travancore Government Gazette dated the 24th August, 1897. Considering the unique features of the Shola forest in Mathikettan and its importance as an Elephant corridor, the State Wildlife Advisory Board recommended to declare the area as a National Park and accordingly the Government of Kerala *vide* order No.50/2003/F&WLD dated the 10th the October, 2003 notified the Mathikettan Shola as Mathikettan Shola National Park;

AND WHEREAS, the Mathikettan Shola National Park is an abode of several endemic flora and fauna, and the habitat is the last remnant of the original forests of the Cardamom Hill Reserve and provides perennial supply of water from Uchinikuthipuzha, Mathikettan Puzha and Njandar the tributaries of Panniyar for meeting the agricultural and drinking water requirements of Santhanpara, Pooppara areas. The major vegetation comprises of malavirinji

(*Actinodaphne bourdillonii*), panthada (*Beilschmiedia wightii*), ungakanni (*Litsea glabrata*), manjakudala (*Litsea wightiana*), keezhambazham (*Neolitsea cassia*), malamavu (*Persea macrantha*), kattupoovarasu (*Rhododendron arboreum),* pachotti (*Symplocos cochinchinensis),* kambilivetti (*Turpinia cochinchinensis),* kozhikkulamavu (*Daphniphyllum neilgherrense),* attuchankala (*Hydnocarpus alpina),* cholarudralksham (*Elaeocarpus recurvatus),* kolakkattachedi (*Gaultheria fragrantissima),* analivenga (*Pittosporum neilgherrense),* nanjinar (*Psychotria nilgiriensis),* kottappoovu (*Psychotria nudiflora),* manjanathi (*Mahonia leschenaultii),* katturosa (*Rosa leschenaultiana),* kattuvizhal (*Maesa indica),* perukilam (*Clerodendrum viscosum),* kattunochi (*Debregeasia longifolia),* vizhal (*Embelia ribes),* kattumunthiri (*Rubus ellipticus),* kattumunthiri (*Rubus niveus),* kakkathodali (*Toddalia asiatica),* etc;

AND WHEREAS, the Mathikettan Shola National Park is also home to a variety of mammalian species such as *Ratufa indica* (Indian giant squirrel), *Semnopithecus johnii* (Nilgiri languor), *Macaca silensis* (lion-tailed macaque), *Paradoxurus hermaphroditus* (common palm civet), *Cuonal pinus* (Asiatic wild dog), *Panthera pardus* (leopard), *Cervus unicolor* (sambar), *Bos gaurus* (gaur), *Elephas maximus* (Asian elephant), etc;

AND WHEREAS, the major avifauna, butterflies and odonates recorded from the Mathikettan Shola National Park are *Gracula religiosa* (hill myna), *Pycnonotus jocosus* (red-whiskered bulbul), *Iole indica* (yellow-browed bulbul), *Hypsipetes leucocephalus* (black bulbul), *Rhopocichlaat riceps* (dark-fronted babbler), *Garrulax jerdoni* (grey-breasted laughingthrush), *Muscicapa muttui* (brown-breasted flycatcher), *Ficedula nigrorufa* (black-and-orange flycatcher), *Cyornis pallipes* (white-bellied blue flycatcher), *Cyornis tickelliae* (Tickell's blue flycatcher), *Eumyias thalassina* (verditer flycatcher), *Eumyiasabli caudata* (Nilgiri flycatcher), *Culicicapa ceylonensis* (grey-headed flycatcher), *Prinia hodgsonii* (grey-breasted prinia), *Saxicola caprata* (pied bushchat), *Saxicoloides fulicata* (Indian robin), *Myiophonus horsfieldii* (Malabar whistling thrush), *Troides minos* (southern birdwing), *Pachliopta hector* (crimson rose), *Graphium sarpedonteredon* (common bluebottle), *Papilio demoleus demoleus* (lime), *Papilio helenus daksha* (red helen), *Papilio polymnestor polymnestor* (blue mormon), *Catopsilia Pomona pomona* (common emigrant), *Eurema laeta laeta* (spotless grass yellow), *Eurema andersoniishimai* (one-spot grass yellow), *Eurema hecabe hecabe* (common grass yellow), *Colias nilgiriensis* (Nilgiri clouded yellow), *Pieris canidiacanis* (Indian cabbage white), *Belenoisaurotaaurota* (pioneer or caper white), *Appias albino swinhoei* (common albatross), *Hebomoia glaucippe australis* (great orange tip), *Lethe rohria neelgheriensis* (common treebrown), *Heteropsis oculus* (red-disc bushbrown), *Mycalesis davisoni* (palani bushbrown), *Ypthima huebneri* (common four-ring), *Ypthimabaldus madrasa* (common five-ring), *Diplacodes trivialis* (ground skimmer), *Orthetrum pruinosum* (crimson-tailed marsh hawk), *Orthetrum triangulare* (blue-tailed forest hawk), *Pantala flavescens* (wandering glider), *Trithemis aurora* (crimson marsh glider), etc;

AND WHEREAS, the rare, threatened, endangered and endemic species of the Mathikettan Shola National Park are *Andrographis affinis*, *Rungia laeta*, *Strobilanthes andersonii*, *Strobilanthes gracilis* (thokakurinji), *Strobilanthes micranthus* (kallankurinji), *Strobilanthes neoasper*, *Strobilanthes rubicundus*, *Indobanalia thyrsiflora*, *Meiogyne ramarowii* (panthalmaram), *Heracleum candolleanum* (kattugeerakam), *Heracleum sprengelianum* (kattumalli), *Arisaema leschenaultii* (pambucholam), *Arisaema psittacus* (pambucholam), *Hoya wightii* (ellodiyan), *Gynuratravancorica* (koppuchedi), *Vernonia fysonii* (kaliyamman-pathiri), *Vernonia travancorica* (karana,thempu), *Impatiens campanulata* (thottachinungi), *Impatiens cordata* (thottachinungi), *Impatiens cuspidata* (thottachinungi), *Impatiens tangachee* (kannipoovu), *Begonia floccifera* (kalthamara), *Cullenia exarillata* (mullenchankka), *Euonymus crenulatus* (dhanthapatri), *Mastixia arborea* (kattukarpooram), *Elaeocarpus munronii* (kalrudraksham), *Elaeocarpus variabilis* (kotlampazhamaram), *Drypetes venusta* (choota), *Exacum wightianum* (thavalakkalchedi), *Leucas vestita* (hanumanpal), *Actinodaphne bourdillonii* (malavirinji), *Apollonias arnottii* (karamavu), *Cinnamomumwightii* (shanthamaram), *Cryptocarya beddomei* (chembalava), *Litsea oleoides* (matthi), *Litsea wightiana* (pattuthali), *Neolitsea fischeri* (varimaram), *Asparagus gonoclados* (sathavari), *Osbeckia leschenaultiana* (nailangi), *Ficus laevis* (peyathi), *Syzygiumdensiflorum* (kurunjaval), *Jasminum brevilobum* (kattumulla), *Ligustrum perrottetii* (kathikodimaram), *Ixora notoniana* (iramburippi), *Mussaenda tomentosa* (pattam), *Psychotria nilgiriensis* (pavadakkambu), *Saprosma foetens* (theenari), *Isonandra perrottetiana* (karimpala), *Pouzolzia wightii* (naralikola), *Columbia elphinstonii* (nilgiri wood pigeon), *Muscicapa nigrorufa* (black and orange flycatcher), *Cyornis pallidipes* (white-bellied blue-flycatcher), *Anthusnilghiriensis* (Nilgiri pipit), *Nectarinia minima* (crimson-backed sunbird), *Trochalopteron fairbanki* (palani laughingthrush), *Troides minos* (southern birdwing), *Papilio dravidarum* (malabar raven), *Mycalesis oculus* (red disk bush brown), *Oriens concinna* (tamil dartlet), *Trachypithecus johnii* (Nilgiri langur), *Martes gwartkinsii* (Nilgiri marten), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mathikettan Shola National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.00 kilometres

around the boundary of Mathikettan Shola National Park, in Idukki District in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1.00 kilometres around the boundary of Mathikettan Shola National Park and the area of the Eco-sensitive Zone is 17.5 square kilometres. Zero extent of Eco-sensitive Zone was justified by the State Government as "The zero Eco-sensitive Zone in the North East and East boundary is due to the interstate boundary with Tamil Nadu State". The extents of Eco-sensitive Zone at various direction the National Park are given as:

Direction	*Extent of Eco-sensitive Zone (kilometres)*
North	1.00 kilometres
North- East	0 (Kerala – Tamil Nadu Inter State Boundary)
East	0 (Kerala – Tamil Nadu Inter State Boundary)
South- East	1 kilometres
South	1 kilometres
West	1 kilometres
North-west	1 kilometres

(2) The boundary description of Mathikettan Shola National Park and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(3) The maps of the Mathikettan Shola National Park demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Mathikettan Shola National Park and the Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Kerala State Pollution Control Board; and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture

conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by the State Government**.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities, such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972, (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio-medical waste.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.

C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Idukki	Chairman, ex officio;
(ii)	District Panchayat President, Idukki	Member;
(iii)	Representatives of Kerala State Pollution Control Board or Kerala State Electricity Board or Kerala Water Authority or Kerala State Irrigation Department or Kerala State Environment Department	Member;
(iv)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Kerala to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vi)	Wildlife Warden, Munnar Wildlife Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure-V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No.25/108/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF THE MATHIKETTAN SHOLA NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA

North : Boundary commences from the point of interstate boundary between Kerala and Tamil Nadu meets the southern boundary of survey No. 32 Pooppara Village of the resurvey minor circuit and runs west parallel to Bodimettu - Pooppara road, along the southern boundary of survey No. 17, 16, 13, 14, 8 ,22 and hence turning south along the eastern boundary of block 13 and survey numbers 34, 35, 36, 37 and hence along the western boundary of survey No38 to reach a point where the northern most extremely of survey No. 38 meets the Resurvey Minor Circuit.

East : Thence the boundary runs north along the interstate boundary till it reaches the starting point. The external boundaries are already surveyed and 70% of boundary is marked with permanent cairns.

South : Thence the boundary turns east along the Northern boundary of survey No. 64, 63 and turns south along the Eastern boundary of survey No. 78, 71, 72, 73, 74, 174, 192, 193, 195, 197 and turn south along the eastern boundary of survey no. 198, 199 and again turns north East along the Northern boundary of survey No. 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212 to meet the interstate boundary.

West : Thence the boundary turns south and follows the Resurvey Minor Circuit along the Eastern boundary of block No. 13 till it meets the Northern boundary of survey No. 65 and turn south along the Eastern boundary of survey No. 65 till it meets the boundary of survey No. 64 on the line democratizing the area handed over after eviction.

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND MATHIKETTAN SHOLA NATIONAL PARK IN THE STATE KERALA

North : Starting at P1 (10° 1' 36.08"N, 77° 15' 42.12"E) on the northern side of Mathikettan Shola National Park, being located at interstate boundary. Then moves towards west direction along north-west side of National park along south edge of Anayirangal reservoir up to P5 (10° 0' 15.26"N , 77° 12' 52.56"E) Panniyar tea estate.

East : The Eastern part of Mathikettan Shola National Park is being Tamil Nadu. Hence no Eco Sensitive Zone is proposed.

South : The southern side of ESZ starting at P9 (9° 58' 3.14"N, 77° 13' 58.81"E) near to Korampara inhabitants. Then it moving towards south-east direction and moves through P10 (9° 57' 57.89"N, 77°

14' 22.38"E), P11 (9° 57' 52.18"N, 77° 14' 53.14"E) P12 (9° 57' 43.75"N, 77° 15' 26.35"E) and P13 (9° 57' 40.3"N, 77° 16' 6.82"E). The points representsPaythotti junction, Paythotti-Njandarmedu road and Njandarmedu. From P13, boundary turns to north direction and moves up to P14 (9° 58' 29.38"N, 77° 16' 22.29"E) were it touches Interstate boundary.

West : In west, the point starts from P6 (9° 59' 53.1"N, 77° 12' 46.44"E) Then after it proceeds on south-west direction through P7 (9° 59' 21.12"N, 77° 12' 57.16"E) and reaches P8 (9° 58' 31.24"N, 77° 13' 15.26"E), located near to Korampara inhabitants.

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF MATHIKETTAN SHOLA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

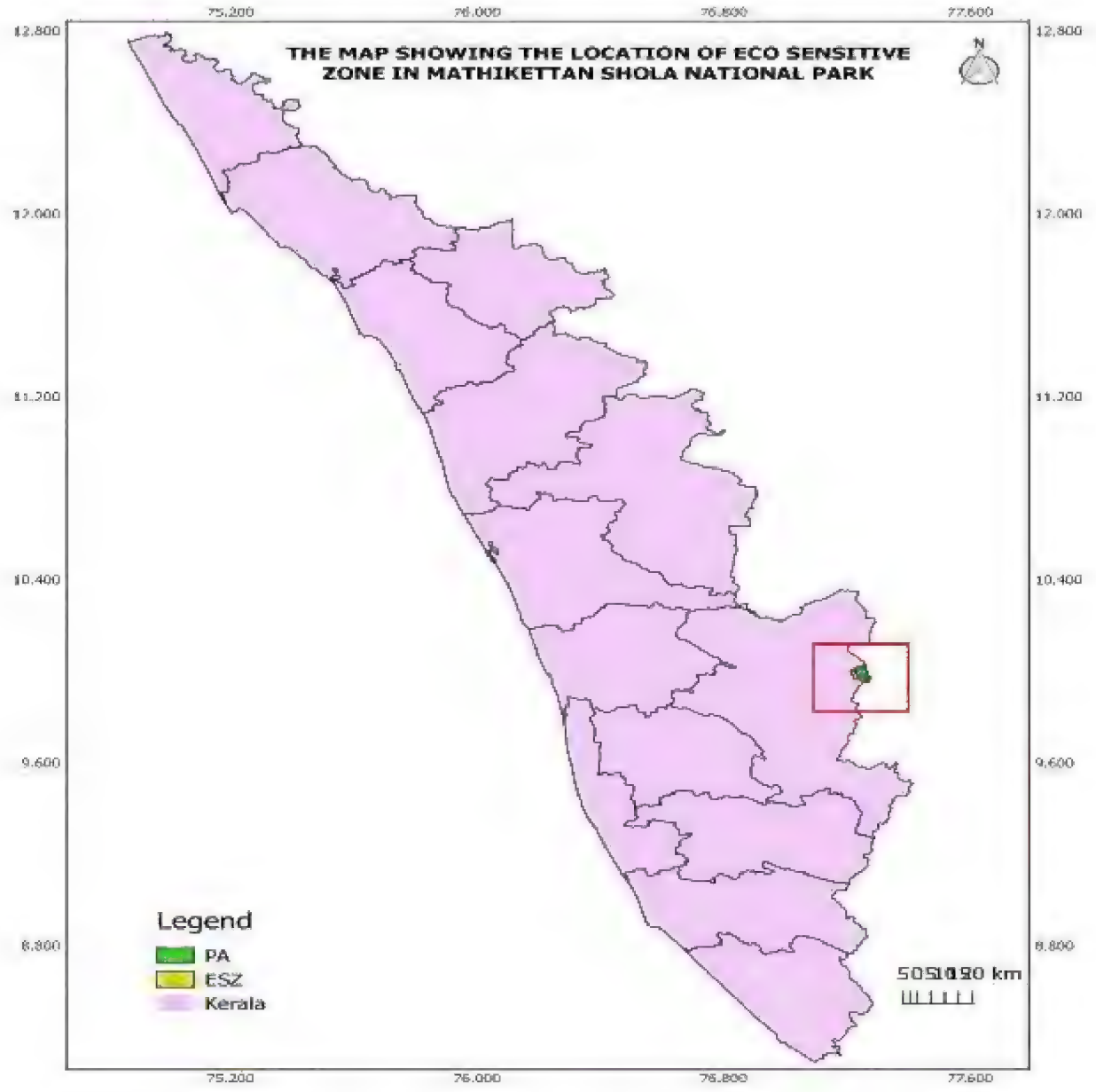

ANNEXURE- IIB

GOOGLE IMAGE OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF MATHIKETTAN SHOLA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

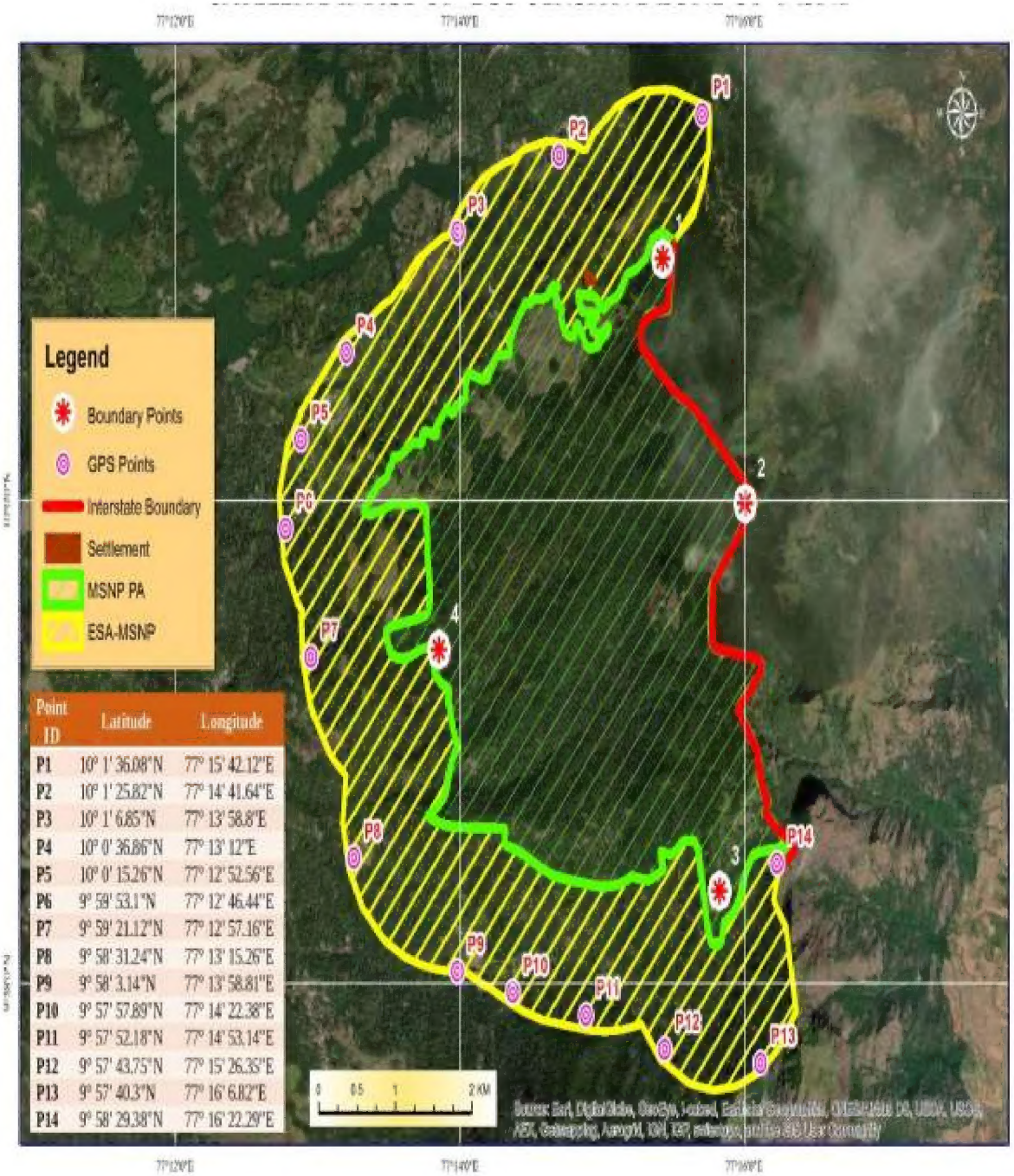

Point ID	Latitude	Longitude
P1	10° 1' 36.08"N	77° 15' 42.12"E
P2	10° 1' 25.82"N	77° 14' 41.64"E
P3	10° 1' 6.85"N	77° 13' 58.8"E
P4	10° 0' 36.86"N	77° 13' 12"E
P5	10° 0' 15.26"N	77° 12' 52.56"E
P6	9° 59' 53.1"N	77° 12' 46.44"E
P7	9° 59' 21.12"N	77° 12' 57.16"E
P8	9° 58' 31.24"N	77° 13' 15.26"E
P9	9° 58' 3.14"N	77° 13' 58.81"E
P10	9° 57' 57.89"N	77° 14' 22.38"E
P11	9° 57' 52.18"N	77° 14' 53.14"E
P12	9° 57' 43.75"N	77° 15' 26.35"E
P13	9° 57' 40.3"N	77° 16' 6.82"E
P14	9° 58' 29.38"N	77° 16' 22.29"E

ANNEXURE- IIC

MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF MATHIKETTAN SHOLA NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN SURVEY OF INDIA TOPOSHEET

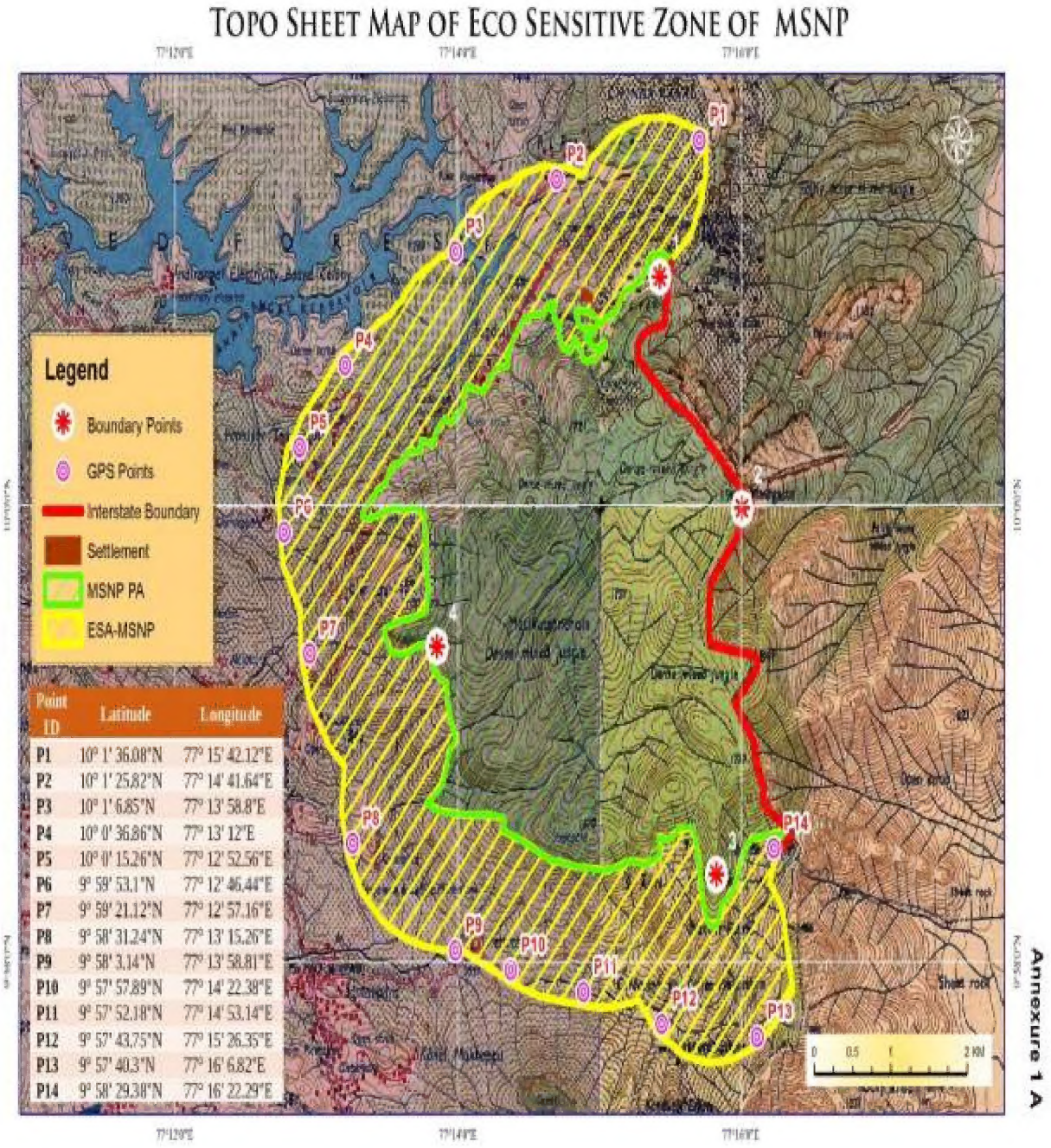

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF THE MATHIKETTAN SHOLA NATIONAL PARK

Sl. No.	Latitude	Longitude
1	10° 1' 0.05 "N	77° 15' 25.6 "E
2	9° 59' 59.22 "N	77° 16' 0.34 "E
3	9° 58' 22.95 "N	77° 15' 49.5 "E
4	9° 59' 27.9 "N	77° 13' 51.13 "E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Point code	Latitude	Longitude
1	P1	10° 1' 36.08"N	77° 15' 42.12"E
2	P2	10° 1' 25.82"N	77° 14' 41.64"E
3	P3	10° 1' 6.85"N	77° 13' 58.8"E
4	P4	10° 0' 36.86"N	77° 13' 12"E
5	P5	10° 0' 15.26"N	77° 12' 52.56"E
6	P6	9° 59' 53.1"N	77° 12' 46.44"E
7	P7	9° 59' 21.12"N	77° 12' 57.16"E
8	P8	9° 58' 31.24"N	77° 13' 15.26"E
9	P9	9° 58' 3.14"N	77° 13' 58.81"E
10	P10	9° 57' 57.89"N	77° 14' 22.38"E
11	P11	9° 57' 52.18"N	77° 14' 53.14"E
12	P12	9° 57' 43.75"N	77° 15' 26.35"E
13	P13	9° 57' 40.3"N	77° 16' 6.82"E
14	P14	9° 58' 29.38"N	77° 16' 22.29"E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER THE ECO-SENSITIVE ZONE OF MATHIKETTAN SHOLA NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	District	Taluk	Village	Type of Village	Latitude	Longitude
1	Idukki	Udumbanchola	Poopara	Revenue	10° 0' 9.36"N	77° 13' 27.84"E

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM